

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 2574/2016

उन्वान

जसवन्त सिंह पिता हमीर सिंह राजपुत जाति राजपुत निवासी नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) हरमेश पिता प्रतापसिंह भील जाति भील निवासी नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) कैलाशचन्द्र पिता प्रकाशचन्द्र भील जाति भील निवासी नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 माही परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन नियम 1984

निर्णय

दिनांक: 18-3-2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3760 मे से रकबा 0.18.एयर भूमि वाके ग्राम नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी कदीमाना से काश्तकर फसल कमाता आ रहा है तथा इस भूमि का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 का उक्त भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 ने धोखे से प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि राजस्व अधिकारियों से मिलकर गैर कानुनी तरीके से आवंटित करवा दी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी कर शास्त्री वसुलना स्पष्ट करता है कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा कायम होकर वह इसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि फर्जी तरीके से आवंटित करवा दिया है जो कि नियम विरुद्ध होकर काबिल खारजी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्षों से काबीज है नियमानुसार प्रार्थी को बेदखल किये बिना किसी को भी उक्त भूमि आवंटन करने अथवा देने के अधिकार नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी नम्बर 01 से सुचना चाहने पर अप्रार्थी ने कोई रेकार्ड नहीं हॉना जाहीर किया जिससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से प्रार्थी के कब्जे की भूमि का नियम विरुद्ध गैरकानुनी तरीके से अप्रार्थी नम्बर 03 ने अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 के हक मे नामान्तरण दर्ज किया है जो खारीज करते हुए उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाना आवश्यक है। आवंटन के सम्बन्ध में आवंटित भूमि की मौका जांच एवं पटवारी रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है न ही भौतिक सत्यापन किया गया है। मात्र टेबल वर्क कर उक्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 के नाम आवंटन की है। जबकि प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली जो विधि विरुद्ध होकर काबिल निरस्तनीय है। आवंटन नियम 6 के अनुसार आवंटन के पुर्तिकर्ताओं के लिए क्रम निर्धारित किया गया है। जिसमें अप्रार्थी किसी क्रम मे नहीं आता है। प्रार्थी आवंटन दिनांक को प्रश्नगत भूमि पर अस्थाई कृषक था एवं उसका आधिपत्य आज तक मौजूद होकर काश्तरत है परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करने से उक्त आवंटन काबिल निरस्तनीय है। नियम 9(3) क ख (4) की पालना भी उक्त आवंटन कार्यवाही मे नहीं की गई है। आवंटन के लिए आवेदन की पात्रता अनिश्चित करने के लिए एवं राजस्व अभिलेखों मे सुसंगत प्रविष्टियों की सत्यापन व जांच करना आवश्यक था परन्तु न तो सत्यापन किया गया व न ही कोई जांच की गई केवल सरकारी कार्यवाही कर आवंटन आदेश दिया गया जो कानूनन निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की अन्य कृषि भूमि से लगी हुई है तथा प्रार्थी व उक्त पिता ने प्रश्नगत कृषि भूमि को उपजाऊ बनाया है। प्रार्थी की खाते की अन्य कृषि से लगी हुई आवंटित कृषि भूमि छोटा टूकडा है तथा पड़ोस की समरूपी मृदा वर्ग के आरक्षित मूल्य से दूगुनी मूल्य प्रार्थी अदा करनेहेतु तत्पर है तथा आवंटित भूमि का प्रार्थी हकदार है। इस भूमि को आवंटन पर लेने हेतु भी

रुक चुक है तथा प्रार्थी आवंटन एवं नियंत्रण को वास्तविक रखता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर कभी आधिपत्य नहीं रहा है और न ही कब्जा काश्त है। जबकी नियम 13(ख) के अनुसार आवंटी को दो वर्ष के भीतर काश्त करने के लिए आबद्ध होगा इस शर्त को पूर्ण करने में अप्रार्थी विफल रहने पर भूमि का आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिये दायी होगा। उक्त शर्त की पालना अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा नहीं की गई है। जिस कारण आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी का आधिपत्य करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त प्रश्नगत कृषि भूमि पर चला आ रहा है व प्रार्थी राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतर सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 अधीन आवंटी पर लागू अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक ऐसी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा बनाई रखने की अनुमति प्राप्त करने का पात्र है परन्तु आवंटन प्राधिकारी एवं सलाह सह समिति ने वास्तविकता की जांच किये बिना ही पेपर आवंटन कर दिया जो रद्दकरण योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 को किया गया आवंटन आवंटी अप्रार्थी नम्बर 01 के आवंटन से तथा दस्तावेज में गलत कथन पर हुआ है। वास्तविक तथ्यों को छुपा कर आवंटन किया गया है जो नियम 17 के अन्तर्गत रद्दकरण किये जाने योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 प्रार्थी के साथ 8 रोज पूर्व में उक्त भूमि में फसल की देख रेख कर रहा था कि तब विवाद करने लगे और प्रार्थी के साथ लड़ाई जमझं कर प्रार्थी को धमकी दी की यह भूमि हमारे नाम दर्ज हो गई है तुम इसका कब्जा छोड़ दो जिस पर प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी मिली की प्रार्थी नम्बर 1 ने अवैध रूप से प्रश्नगत कृषि भूमि का आवंटन अपने नाम करवा लिया है। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त हुई जिस पर यह प्रार्थना पत्र नियम 17 के तहत प्रस्तुत होना आवश्यक होने से पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री विरेन्द्रसिंह राव, अभिभाषक का वाकलातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होकर अप्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त होकर नियमानुसार भूमि आवंटन होने से प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को खारीज कराने निवेदन किया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट लि जाने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट कथन किया गया कि पटवार हल्का साकरिया के मौजा नवागांव की सर्वे नम्बर 3760 रकबा 0.44 हे० भूमि पर खातेदार कैलाशचन्द्र पिता प्रकाश चन्द्र जाति भील सा.देह खातेदार द्वारा मौके पर ट्यूबवेल लगाकर खेती करना तथा सर्वे नम्बर 4662/3760 रकबा 0.10 हे० भूमि पर खातेदार हरमेश पिता प्रतापसिंह का मौके पर कब्जा होकर काश्त की जाना अवगत कराया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर बकुलाय की बहस सुनी गई।

बकुलाय की बहस पर मनन करने तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, राजस्व अभिलेख की छाया प्रतिया एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा भूमिधारी तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पटवार हल्का साकरिया के मौजा नवागांव के सर्वे नम्बर 3760 रकबा 0.44 हे० भूमि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रकाश चन्द्र जाति भील के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के काबिज ट्यूबवेल लगाकर कब्जा काश्त होने एवं सर्वे नम्बर 4662/3760 रकबा 0.10 हे० भूमि अप्रार्थी संख्या 01 हरमेश पिता प्रतापसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के काबिज होकर काश्त करने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18-3-2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी